राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांक: एफ4 (22)आकाशि/नि.सं./2016/ 2008

दिनांक:- 05/4/2022

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत महाविद्यालय को **सत्र 2021-22 से स्नातक स्तर पर निम्नलिखित संकाय/विषय में स्थाई** अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तो के साथ प्रदान किया जाता है:-

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्धक विश्वविद्यालय	नवीन विषय संकाय
भाई नितिन कुमार एज्यूकेशन एण्ड सोशियल वेलफेयर ट्रस्ट, सादुलपुर, चूरू।	आशा देवी कॉलेज, खेमाणा रोड़, सादुलपुर, चूरू। खसरा नं.2262/1477, 2278/1477, 2367/2366/2280/1477, 2368/2366 10000 वर्गमीटर	महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।	**अनिवार्य विषयों सहित स्नातक स्तर पर-** **विज्ञान संकाय-** रसायनशास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, भौतिक शास्त्र, गणित। **कला संकाय-** इतिहास, भूगोल, गृह विज्ञान, संस्कृत, राजनीति विज्ञान, हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, समाजशास्त्र, चित्रकला, राजस्थानी, उर्दू, लोकप्रशासन, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान।

1. संस्था प्रत्येक सत्र मे निरीक्षण करवाने हेतु नियमानुसार निरीक्षण शुल्क जमा करवाकर ऑनलाईन प्रपत्र प्रस्तुत करेगी।
2. **संस्था प्रति वर्ष विभाग के NOC पोर्टल पर आवश्यक सांख्यिकी एवं महाविद्यालय की सूचनाएं निर्धारित अवधि में भरकर अपलोड़ करेगी।**
3. आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
4. संस्था को समय-समय पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
5. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी0सी0आई0 से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
6. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
7. संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा
8. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-साथ अन्य निर्धारित शर्तो की पालना करेगी।
9. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
10. संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
11. राज्य सरकार की महाविद्यालय संबंधी प्रवेश नीति 2021-22 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
12. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेब पोर्टल **www.aishe.nic.in** पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा । महाविद्यालय अपलोड़ेड प्रमाण पत्र की हार्ड कॉपी आवश्यकतानुसार आयुक्तालय में प्रस्तुत करेंगा।

उपर्युक्त शर्तो की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को प्रत्याहरित कर लिया जायेगा।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सहायक, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव आयुक्त आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, चूरू।
5. कुल सचिव, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
6. सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय।
7. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (नि0सं0)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
Email: jdbed.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांकः–एफ.24(NOC 25-26)/बी.एड/आकाशि/2025/ **दिनांकः हस्ताक्षर दिनांक**

समन्वयक, पीटीईटी 2025,
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,
कोटा।

विषयः–सत्र 2025–26 के लिए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं (बी.ए.बी.एड./बी.एससी.बी.एड.– 4 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम) की काउन्सलिंग की कार्यवाही हेतु सूची भिजवाये जाने बाबत।

क्षेत्रीय समिति, एनसीटीई से मान्यता एवं राज्य सरकार से स्थाई/अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त संस्थाओं (**बी.ए.बी.एड./बी.एससी.बी.एड.– 4 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम**) की सूची संलग्न कर काउन्सलिंग की कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं/राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय अद्योलिखित शर्तों की पालना सुनिश्चित करें:–

1. प्रदेश में केन्द्रीयकृत प्रवेश व्यवस्था के अन्तर्गत समन्वयक पीटीईटी के माध्यम से पी.टी.ई.टी. परीक्षा 2025 की मेरिट के आधार पर बी.ए.बी.एड./बी.एससी.बी.एड.– 4 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम में प्रवेश दिये जायेगें।
2. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की अन्य राशि विद्यार्थियों से नहीं लेंगे।
3. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों की पालना करनी होगी।
4. योग्यताधारी शिक्षकों की उपलब्धता की सुनिश्चित्तता की जावेगी।
5. राज्य सरकार के निर्णयानुसार राज्य स्तरीय काउन्सलिंग में भाग ले रहे निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं/राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय **स्वयं के स्तर पर** अथवा अन्य फेडरेशन/सोसायटी आदि के द्वारा परीक्षा आयोजित कर या **अन्य किसी आधार पर पृथक से शिक्षक–प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रदान नहीं करेगें।**
6. निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं/राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय स्वयं की वेबसाइट निर्मित कर महाविद्यालय से सम्बन्धित निम्नलिखित सूचना वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगी।
   - I. एनसीटीई द्वारा जारी मान्यता आदेश,
   - II. राज्य सरकार द्वारा जारी स्थायी/अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र
   - III. अनुमोदित शैक्षणिक स्टॉफ एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की सूची
   - IV. संचालित पाठ्यक्रम का नाम मय स्वीकृत सीट संख्या
   - V. अन्य आवश्यक सभी सूचनाएं
7. प्रभावी एनसीटीई रेगूलेशन की पालना सुनिश्चित करे।

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर राज्य सरकार द्वारा स्थायी/अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त किया जा सकता है।

यह राज्य सरकार से अनुमोदित है।

अतिरिक्त आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान,जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
5. क्षेत्रीय निदेशक, पश्चिम क्षेत्रीय समिति, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, जी–7,सेक्टर–10 ,द्वारका,नई दिल्ली–110075।
6. रजिस्ट्रार, समस्त राजपोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान।
7. सचिव/प्राचार्य/रजिस्ट्रार, समस्त संचालित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय।
8. प्रभारी वेबसाइट, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा,राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावे।
9. राज्य सूचना अधिकारी, एनआईसी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. तकनीकी निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली

अतिरिक्त आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान,जयपुर

Principal
Asha Devi College
SADULPUR (Churu) Raj.

Signature valid

Digitally signed by Sunil Bhati
Designation : Additional Commissioner
Date: 2025.06.11 14:44:06 IST
Reason: Approved

B.A.B.Ed./B.Sc.B.Ed. (4 Year Integrated)

S. No.	District	Institute Name	Address	Tehsil	Type	Total Seats
		Prashikshan Mahavidyalaya	Kalan,Tehsil-Jahajpur, Bhilwara			
50	Bhilwara	Rupi Devi Girls College Of Education	Vill-Mandal, teh-Mandal, Bhilwara	Mandal	महिला	100
51	Bhilwara	Smt. Narayani Devi Mahila Teacher Training College	Mahila Ashram, Bhilwara	Bhilwara	महिला	100
52	Bhilwara	Vidya Professional & Technical College,	Village -Paldi, Telikhera Tiraha, Tehsil- Suwana, District-Bhilwara-311001	Suwana (Bhilwara)	सहशिक्षा	100
53	Bikaner	Aadesh College Kolayat,	Teshsil-Kolayat, Bikaner Road, Dist.-Bikaner-334302	Kolayat	सहशिक्षा	100
54	Bikaner	Murli Singh Yadav Memorial Prashikshan Sansthan	Udairamsar, Bikaner Udairamsar Karni Coach, Dist-Bikaner	Bikaner	सहशिक्षा	100
55	Bikaner	S.D.P.G. College] Khajuwala	Village-Khajuwala, Rawala Road, Tehsil-Khajuwala, District- Bikaner	Khajuwala	सहशिक्षा	100
56	Bikaner	Swami Vivekanad College for Professional Studies	Village-Sinthal, Napasar Gusaisar Road, Tehsil-Bikaner, Dist.-Bikaner-334202	Bikaner	सहशिक्षा	100
57	Bundi	Reghukul Teacher Training College,	Village-Raghuvirpura, Tehsil-Bundi, Dist-Bundi-323001	Bundi	सहशिक्षा	100
58	Bundi	Sarvodaya Teacher Training College,	Village-Kenal Road, Matunda, Bundi	Bundi	सहशिक्षा	100
59	Chittorgarh	Om Shiv Sansthan T.T. College,	Village-Mangalwad, Dungla Road, Tehsil-Dungla, Chittaurgarh	Dungla	सहशिक्षा	100
60	Chittorgarh	Suyash College of Education,	Village-Hanrnathpura, Kapasan Main Road, Tehsil-Rashmi, District-Chittaurgarh-312203	Rashmi	सहशिक्षा	100
61	Chittorgarh	Vision College of Teachers Traning College	Village-Bojunda, Udaipur Road, Tehsil-Chittorgarh, Dist.-Chittorgarh-312001	Chittorgarh	सहशिक्षा	100
62	Churu	Adarsh Mahila Mahavidyalaya,	Village -Taranagar, Rajgarh Road, Tehsil- Taranagar, District-Churu-331304	Taranagar	महिला	100
63	Churu	Adarsh Mahavidyalaya	Village -Sardar Shahar, Tehsil-Sardar Shahar, District-Churu -331403	Sardarshahar	सहशिक्षा	100
64	Churu	Asha Devi College	Village-Khemana Road, Sadulpur, Tehsil-Sadulpur, Dist.-Churu -331023	Sadulpur	सहशिक्षा	100
65	Churu	C.R.M. College	Bairasar Chhota, Rajgarh, Dist.-Churu	Rajgarh	सहशिक्षा	100
66	Churu	Career College,	Khasara No- 2161/2155, Village -Churu, Bissau Road, Tehsil-Churu, District-Churu-331001	Churu	सहशिक्षा	100
67	Churu	Chandgiram College ,	Bairasar Chhota, Tehsil-Rajgarh, Dist-Churu-3331023	Rajgarh	सहशिक्षा	100
68	Churu	Choudhary M.S. Memorial College,	Khasra No. 128/127,106/1 Rajgarh Road, Village - Taranagar, Tehsil-Taranagar,District- Churu-331304	Taranagar	सहशिक्षा	100
69	Churu	Choudhary M.S. Memorial T.T. College,	Khasra No. 109,110,637,638 Sahawa Road, Village - Taranagar, Tehsil-Taranagar,District- Churu-331304	Taranagar	सहशिक्षा	100
70	Churu	Choudhary [illegible]R. College,	Survey No.233/81 & 58/3, Village- Sardar Shahar, Ward No. 19, Tehsil-	Sardarshahar	सहशिक्षा	100

Sr. No. 64

Principal
Asha Devi College
SADULPUR (Churu) Raj.

Signature valid
Digitally signed by Sunil Bhati
Designation : Additional Commissioner
Date: 2025.06.11 14:44:06 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15[illegible]